

03.01.19

Not Ruled
Ordn.

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने नोट प्रेस कर निवेदन किया कि वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी को आवाज दी गई। प्रार्थी अनपस्थित। अतः पत्रावली वकील प्रार्थी द्वारा आदेशिका पर किये गये नोट प्रेस एवं प्रार्थी की अनुपस्थिति के आधार पर इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमारं होकर नंबर से कम होकर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।